बाबरी ढांचा फिर नहीं बनेगा

दरियाबाद में हुई जनसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

बाराबंकी, 10 फरवरी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत की कामना करने वालों को अब समझ लेना चाहिए कि न तो कोई कयामत आने वाली है और न ही बाबरी ढांचे का निर्माण फिर कभी होगा.

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में रहना है तो कायदे से रहना सीखना होगा, क्योंकि कानून का पालन करने वाला ही लाभ में रहता है और कानून तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है. मुख्यमंत्री मंगलवार को दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के दुल्हदेपुर स्थित बाबा हरिशंकर दास की कुटी पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार रुकने वाली नहीं है. यह सरकार जितना बोलती है, उतना ही करती है और उतना ही बोलती है जितना करने का संकल्प लेती है. जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं, वह दिन आने वाला नहीं है. बाबरी मस्जिद अब कभी नहीं बनेगी और सरकार विरासत को निरंतर सशक्त करती रहेगी. उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उल्लेख कर कहा कि 500 वर्षों बाद अयोध्या में गौरवपूर्ण क्षण आया. कई सरकारें आईं और गईं, अनेक राजा-महाराजा हुए, लेकिन राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सका. योगी ने कहा देश वैभवशाली और विकसित बने, यही सरकार का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि हर संत देश के लिए है और धर्म भी देश के लिए है. धर्म और देश आत्मा और शरीर की तरह एक-दूसरे के पूरक हैं. भारत और सनातन भी एक-दूसरे के अभिन्न अंग हैं. इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कथा मंडप का उद्घाटन किया तथा रामार्चा यज्ञ में आहुतियां अर्पित कीं.

> आज यह कार्य संपन्न हुआ है. उन्होंने कहा, राम सबके हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अवसरवादी रवैया अपनाते हुए संकट के समय राम को याद करते हैं और शेष समय उन्हें भूल जाते हैं. ऐसे लोगों को अब आत्मचिंतन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कयामत की प्रतीक्षा करने के बजाय हिंदुस्तान में कानून का पालन करना सीखें. कानून मानेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा कानून तोड़ने वालों का भविष्य अंधकारमय होगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी का ध्येय एक भारत, श्रेष्ठ भारत होना चाहिए.

भारत कहीं से भी तेल खरीदने को स्वतंत्र, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का आरोप

मॉस्को, 10 फरवरी. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है, जिससे वे रूस से सस्ता तेल न खरीदें. लावरोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस खरीदें. उन्होंने यह बातें 9 फरवरी को डिप्लोमैटिक वर्कर्स डे के मौके पर कही. लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. रूस की विदेश में रखी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि ट्रम्प सरकार यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात तो करती है, लेकिन जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे, वे अब भी जारी हैं. रूस के मुताबिक, यूक्रेन पर सहमति बनने के बाद भी अमेरिका नए प्रतिबंध लगाता रहा. रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका भारत और दूसरे ब्रिक्स देशों पर दबाव डाल रहा है कि वे रूस से दूरी बनाएं. रूस की तेल कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर रोक लगाई गई है और रूस के व्यापार और निवेश को सीमित करने की कोशिश हो रही है. ये सब गलत और अनुचित तरीके हैं.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि पर ब्याज सहित लगाया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" के बकाया और सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री संतोष टैगोर, श्रीमती प्रिया शर्मा, मानसी सिलाई केंद्र (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10127512)	प्लॉट संख्या बीई 20, सेक्टर बी, आदिनाथ रेजीडेंसी, भूमि सर्वेक्षण संख्या 62, 74/1/1, 89/1, 88 min 2, 88 Min, 159, 165, ग्राम हमूखेड़ी, तहसील और जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456001 क्षेत्रफल प्रशासनिक माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्रफल, विक्रय योग्यक्षेत्रफल, अतिरिक्तनिर्मितक्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफलः 420.00, 421.00, 470.00	रू. 1084407/- दस लाख चौरासी हजार चार सौ सात मात्र	04-11-2025	07-02-2026
श्री लक्की घूरे श्री. शरद घुरे मिस्टर विक्की घूरे श्री विनोदे घूरे (प्रॉस्पेक्ट नं. IL911068)	प्लॉट संख्या सीई-33-ए, सुपर सिटी, ज्ञानशीला होम्स जैस्मीन विला, गांव धबली, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफलः 750.00, 600.00	रू. 1905628/- उन्नीस लाख पाँच हजार छह सौ अट्ठाईस मात्र	10-10-2025	06-02-2026
श्री कपिल प्रजापत श्रीमती सपना (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10263094)	प्लॉट संख्या 251, सर्वे संख्या 343/2/1/मिन-2/मिन-2 और 343/3/1/मिन2/मिन-2, विजय नगर, ग्राम-उदंसा, (प्रीफेरी क्षेत्र), पिन नंबर 41, तहसील और जिला- उज्जैन, मध्य प्रदेश, पिन नंबर 456006 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र निर्मित क्षेत्रः 429.00, 478.00, 478.00	रू. 1044235/- दस लाख चौवालीस हजार दो सौ पैंतीस मात्र	18-09-2025	07-02-2026

अधिक जानकारी के लिए, शाखा कार्यालयः जी-102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर- 452001, मध्य प्रदेश/ या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 11.02.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

मुआवजा बिना पुल का नहीं होगा उद्घाटन

राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा को दी धमकी

वॉशिंगटन, 10 फरवरी. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले एक पुल के उद्घाटन को तब तक रोकने की धमकी दी है, जब तक कि कनाडा को दी गयी प्रत्येक वस्तु के बदले अमेरिका को पूर्ण मुआवजा नहीं मिल जाता.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गॉर्डी होवे अंतर्राष्ट्रीय पुल पूरा होने पर अमेरिका के मिशिगन राज्य के दक्षिणी डेट्रॉइट और कनाडा के ओंटारियो राज्य के विंडसर शहर को जोड़ेगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कनाडा के प्रांत ओंटारियो को अमेरिका के राज्य मिशिगन से जोड़ने वाला गॉर्डी होवे अंतर्राष्ट्रीय पुल को तब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक कि कनाडा अमेरिका के साथ उस निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार नहीं करता, जिसके हम हकदार हैं। परियोजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इस पुल का वित्तपोषण कनाडाई सरकार कर रही है.

> ट्रंप गॉर्डी होवे अंतर्राष्ट्रीय पुल के उद्घाटन को कैसे रोक सकते हैं, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने संक्षिप्त तौर पर इतना जरूर कहा कि इस पर बातचीत तुरंत शुरू होगी. डेट्रॉइट नदी पर बने इस पुल को औपचारिक परीक्षण और अनुमोदन के बाद वर्ष 2026 की शुरुआत में यातायात के लिए खोले जाने की उम्मीद है. पुल का निर्माण 2018 में आरंभ हुआ था, लेकिन यह परियोजना एक दशक से अधिक समय से दोनों देशों के बीच विवाद का विषय रही है. कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अनुसार, इसकी लागत लगभग 6.4 बिलियन कनाडाई डॉलर होने का अनुमान है. श्री ट्रंप ने ट्रुथ पर जारी एक बयान में कहा कि अमेरिका के पास इस संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा होना चाहिए। परियोजना की वेबसाइट के अनुसार, पुल का निर्माण करने वाली संस्था विंडसर-डेट्रॉइट ब्रिज अथॉरिटी पूरी तरह से कनाडाई सरकार के स्वामित्व में है। श्री ट्रंप ने लिखा कनाडाई सरकार मुझसे, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, यह अपेक्षा करती है कि मैं उन्हें अमेरिका का लाभ उठाने की अनुमति दे दूं! मैं इस पुल को तब तक खुलने नहीं दूंगा जब तक कि अमेरिका की दी गई हर चीज़ के लिए उसे पूर्ण मुआवजा नहीं मिल जाता।

NAME CHANGE

I ALI ASGAR Here By declare that I have change My name as **ALI ASGAR PADAW** so from now in future I will be known by my new name **ALI ASGAR PADAW** for all future purposes.

Address-
S/O TALAVDI ROAD WARD NO 05 KUKSHI DISTRICT DHAR MP 454331

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्र./641/का.से./2026 **विज्ञप्ति** इन्दौर, दिनांक: 05.02.2026

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा **ग्राम-बजरंग पालिया, तहसील-सांवेर, जिला-इंदौर** में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कॉलोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है:-

अ क्र.	कॉलोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखण्डों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भूमिस्वामी 1. **श्री बाबू पटेल पिता श्री हाजी नादर पटेल** 2. **श्री दिलावर पटेल पिता हाजी नादर पटेल** तर्फे विकासकर्ता **श्रीजी डेवलपर्स** तर्फे पार्टनर **श्री मनीष जैन पिता श्री सुरेन्द्र कुमार जैन** पता-101, वृंदावन ग्रुप मां निर्मला अपार्टमेंट, केसरबाग कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) कॉलोनी का नाम: **VRINDAVAN PRIDE**	ग्राम-बजरंग पालिया, तहसील-सांवेर, जिला-इंदौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 18/2/1 रकबा 1.011 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 18/2/2 रकबा 1.012 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 18/2/3 रकबा 1.012 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 18/2/4 रकबा 1.012 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 15 रकबा 0.709 हैक्टेयर कुल रकबा 4.756 हैक्टेयर में से 46667.04 वर्गमीटर भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्र. MP7IGR17512025A100991121 इंदौर, दिनांक 04.11.2025 एवं संशोधित बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक MP7IGR17542025A101099335 इंदौर, दिनांक 02.12.2025 से भूखण्ड क्रमांक एसआर-1 से लगायत एसआर-14, 15 से लगायत 22 तक, 38 से लगायत 46, 55, 64, 65, 92, 110, 112, 113, 127, 144, 145, 160 से 178, 208, 238 से 248, 250 से 253 तक, 256, 257, 276 इस प्रकार कुल 79 भूखण्ड है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6541.40 वर्गमीटर है, बंधक रखे गये हैं।

उपरोक्त कॉलम नंबर-4 में उल्लेखित 79 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये हैं। अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडों का क्रय-विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
कॉलोनी सेल शाखा,
जिला-इंदौर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
CIN L65110TN2014PLC097792,
पंजीकृत कार्यालयः - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड,
चेटपेट, चेन्नई-600031. टेलीफोनः +91 44 4564 4000 फैक्सः +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]
कब्जे का नोटिस
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और गारंटीकताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे संलग्न मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को मांग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों सहित चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है।
ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

ऋण खाता संख्या	खाता सह-उधारकर्ता/ओं का नंबर और गारंटर नाम	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण	मांग नोटिस		कब्जा लेने की तिथि और प्रकार
			दिनांक	बकाया राशि (रु.)	
63992514	1. श्री नारायण गहलोत, 2. रीना बाई,	वह संपूर्ण अचल संपत्ति (आवासीय मकान) जिसका क्षेत्रफल 30 x 30 = 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर) है, जो सर्वे सं./आबादी खसरा सं. 381, मकान संख्या 11, ग्राम खरसोड़ा, पीएच नं. 15, तहसीलः गुलाना, जिलाः शाजापुर, म.प्र. राज्य-465227 में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सरकारी भूमि, पश्चिमः सड़क, उत्तरः मदन सिंह का मकान, दक्षिणः मंगीलाल का मकान	10.02.2024	रू. 2,98,550.60/-	06.02.2026 भौतिक कब्जा
68417831	1. गोविंद सेंधलकर, 2. सुगन सेंधलकर	मकान संख्या 16 का वह पूरा हिस्सा संपत्ति संख्या 16, क्षेत्रफल 2400 वर्ग फुट (223.04 वर्ग मीटर), जो सर्वे संख्या 334, वार्ड संख्या 1, ग्राम बुधांगाँव, पीएच नं. 45, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455115 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में श्री दिनेश का बाड़ा, पश्चिम में श्री बलदेव का घर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में श्री सूरज सिंह का बाड़ा।	12.06.2024	रू. 4,64,107.89/-	06.02.2026 भौतिक कब्जा

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) द्वारा मांग नोटिस में उल्लिखित राशि के साथ-साथ मांग नोटिस की तारीख से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क का प्रभार लगाया जाएगा।

अधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

दिनांकः 06.02.2026
स्थानः मध्य प्रदेश

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **27-02-2026** को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **27-02-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **26-02-2026** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/कानूनी वारिस(सों)/जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	TCHHL009700010032 9815 & TCHIN0097000100331549	श्री कमलेश जाट श्रीमती ज्योति जाट	₹ **16,66,713/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0097000100329815 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ **1,89,218/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0097000100331549 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹**18,55,931/-** **03-07-2025**	₹ **19,00,000/-** अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): ₹ **1,90,000/-** कब्जे का प्रकार : भौतिक	₹ **212000/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0097000100331549 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ **1796605/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0097000100329815 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹ **2008605/-** **04-02-2026**

अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, प्लॉट नं. 25, डायमंड पार्क, वार्ड नं.04 स्थित, नगर परिषद राजगढ़ तहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.) क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट यानि (92.936 वर्ग मीटर)
चर्तुसीमा:- पूर्व :- प्लॉट नंबर 08, पश्चिम:- कॉमन रोड, उत्तर:- प्लॉट नंबर 24, दक्षिण:- प्लॉट नंबर 26

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/कानूनी वारिस(सों)/जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
2	TCHHL064300010000646 & TCHHF0643000100000661 & TCHIN0643000100147373 & TCHIN0643000100260329 & TCHIN0643000100269413	श्री सुरेश पाटीदार श्रीमती पुष्पा पाटीदार	₹ **20,89,753/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHF0643000100000661 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ **12,24,201/-**आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0643000100000646 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ **7,72,966/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100147373 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ **9,51,318/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100260329 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ **9,58,893/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100269413 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹ **59,97,131/-** **10-12-2024**	₹ **50,00,000/-** अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): ₹ **5,00,000/-** कब्जे का प्रकार : भौतिक	₹ **1131633/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100260329 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ **909337/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100147373 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ **2409771/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHF0643000100000661 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ **1140385/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100269413 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ **1425200/-** आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0643000100000646 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹ **7016326/-** **04-02-2026**

अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, आवासीय मकान 09, वार्ड नंबर 30, सांवरिया कॉलोनी (बन्नाखेड़ा) जावरा जिला रतलाम (म.प्र.) में स्थित, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.90 वर्ग मीटर), **चर्तुसीमा:-** पूर्व : 5 फीट गली, पश्चिम: 30 फीट चौड़ी कॉलोनी रोड, उत्तर: पाठकजी का मकान, दक्षिण: अन्य का प्लॉट
स्पष्टीकरण :- ऋणी द्वारा TCHFL के खिलाफ दायर किया गया सिक्योरिटाइजेशन आवेदन (SA/832/2025) DRT जबलपुर में लंबित है, उक्त मामले में TCHFL के खिलाफ कोई स्टेआर्डर पास नहीं किया गया है।

नोट :- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी।
नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रुप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।
बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:
कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से दिनांक 27-02-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।
नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांडड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी ' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **18-02-2026** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, अर्का ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पार्ट बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड़, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी : contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें ।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/pdnzdd** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**
कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 11-02-2026

आज का इतिहास

1613 - मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी।

1847 - अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म। एडिसन के नाम पर अकेले एवं संयुक्त रूप से 1093 पेटेंट हैं, जो अपने आप में विश्व रिकार्ड है।

1933 - गांधी जी के साप्ताहिक प्रकाशन 'हरिजन' का पहला अंक पुणे से प्रकाशित।

आवश्यक सूचना

हाउसिंग बोर्ड कालोनी मकान नंबर 91 कि रजिस्ट्री क्रं 2019925 कहीं पर मंडी क्षेत्र में गिर गई है। जिस भी श्रीमान को मिले निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।

हेमंत केरवार
मोबा. 9826046920

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी,
मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 98260 81279

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना
परिशिष्ट-IV-क (नियम 9(1) के परन्तुक देखें)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम , 2002 के नियम 9(1) के अन्तर्गत चिल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
आम जनता को साधारणत: एवं निम्न वर्णित संपत्ति के ऋणीयों/जमानतदारों/ बंधककर्ताओं को विशेषत: सूचीत किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति आईडीबीआई बैंक **(सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के **प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्न वर्णित संपत्ति का विक्रय निम्न वर्णित दिनांक को आईडीबीआई बैंक (सुरक्षित लेनदार) के बकाया राशि वसूली करने हेतु **जहां है जैसा है, जो है जैसा है, जो कुछ भी है** के आधार पर **दिनांक 27.02.2026** को विक्रय किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि (ईएमडी) का विवरण निम्नानुसार है:

क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001
EMD Submission A/c Details : IDBI BANK LIMITED No : 52834915010026, IFSC Code : IBKL0000528
DD Should be drawn in favour of IDBI Bank Ltd., A/c No.: 52834915010026 payable at Sanawad Branch issued by any Nationalised Bank/ Scheduled Bank as (EMD)

क्रं.	ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता का नाम	1) मांग सूचना दिनांक 2) कब्जा दिनांक 3) मांग सूचना अनुसार बकाया राशि	1) आरक्षित मूल्य 2) धरोहर राशि (EMD) 3) बिड वृद्धि राशि	अचल संपत्ति का विवरण (इन्दौर (म.प्र.) स्थित अचल संपत्ति का प्रत्येक भाग एवं समूह जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास बंधक है)
1.	1. श्री आशीष गंगराडे (ऋणी), 2. श्रीमती ज्योती गंगराडे (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता) 3. स्व. श्रीमती प्रभा गंगराडे (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता) इनके कानूनी उत्तराधिकारी: (अ) श्री आशीष गंगराडे माता स्व. श्रीमती प्रभार गंगराडे (ब) श्री सुनील कुमार गंगराडे माता स्व. श्रीमती प्रभार गंगराडे (स) श्री सुशील कुमार गंगराडे माता स्व. श्रीमती प्रभार गंगराडे 4. श्री सुनील कुमार गंगराडे (सह-ऋणी)	1) 16.12.2023 2) 19.09.2024 3) 76,64,877.71/- 10.10.2023 के अनुसार + उसके बाद लागू होने योग्य ब्याज खर्चे एवं चार्जेस	1) ₹ 42,93,000/- 2) ₹ 4,30,000/- 3) ₹ 10,000/-	**संपत्ति 1:** संपत्ति के सभी प्रमुख अंग मकान नं. 243 (पुराना नं. 217) में शामिल एवं उसका हिस्सा बनने वाली भूमि, वार्ड नं. 15, भवानी रोड, तमोली मोहल्ला, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.), **प्लाट का क्षेत्रफल: 700 वर्गफीट (65.05 वर्गमीटर), मालिक: श्रीमती प्रभा बाई गंगराडे, चर्तु:सीमा: उत्तर:** बाबु माली का मकान, **दक्षिण:** भवानी रोड, **पूर्व:** श्री पार्वती बाई पिता हीरालालजी गंगराडे का मकान उसके बाद गली, **पश्चिम:** सड़क
			1) ₹ 37,21,000/- 2) ₹ 3,72,100/- 3) ₹ 10,000/-	**संपत्ति 2:** संपत्ति के सभी प्रमुख अंग भूमि जो अचल संपत्तियों का हिस्सा है एवं उसमे शामिल है, वार्ड नं. 15, सर्वे नं. 96/1, रकबा 0.757 एकड़ पैकी, प्लाट नं. 5/1, पटवारी हल्का नं. 50, मौलाना आजाद मार्ग, बैक कॉलोनी, सनावद, **क्षेत्रफल: 1160.80 वर्गफीट (107.84 वर्गमीटर), मालिक: ज्योती गंगराडे, चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 5/2 (मालिक कमलेश जैन), **दक्षिण:** प्लाट नं. 4, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** दिनेश ब्रदर्स की भूमि

महत्वपूर्ण तिथियाँ

धरोहर राशि/ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि	: 25.02.2026 सायं 4 बजे तक
निरीक्षण की दिनांक एवं समय	: 16.02.2026 से 17.02.2026 समय प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक
बिड वृद्धि राशि	: रु. 10,000/- से
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	: 27.02.2026 प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रत्येक 5 मिनिट के असीमित विस्तार के साथ (यदि आवश्यक हो)

ब्रिकी की विस्तृत नियमों व शर्तों के लिए, कृपया **https:/www.bankeauctionwizard.com** एवं आईडीबीआई की वेबसाईट यानि **https://www.idbibank.in** पर दिये गए लिंक को देखें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक पार्टियां प्राधिकृत अधिकारी, **क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0755 4848320, 99607 14961, 98260 81279** से संपर्क कर सकती है।

सरफेसी अधिनियम 2022 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पहले ब्याज सहित उपरोक्त वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि यदि कोई ब्याज सहित उनसे वसूल की जाएगी। ऊपर उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार ऋणियों/जमानतदारों संभावित खरीदार को ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी ला सकते है।

स्थान: इंदौर, दिनांक: 11.02.2026

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड